Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–1 को राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 930 झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग में 2/ 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर मार्ग के उन्नयन एवं चौडीकरण कार्य हेतु बालोद वन मंडल अंतर्गत 26.471 हे. एवं राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत 46.955 हे. कुल 73.426 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Date : 21 -11-2019

Place : Raipur

Signature

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Department of Forest
Mantralaya, Chhattisgarh

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest Department

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-17/2019/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 21/11/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन,
नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001 ।

विषयः– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for rehabilitation and upgradation to 2 lane / 4 lane of NH-930 Jhalmala-Balod – Kushumkasa – Manpur - Kohka Road in the State of Chhattisgarh area 73.426 regarding.**

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–704 /2731, दिनांक 05.11.2019 ।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण **(Brief)** निम्नानुसार है :–

—00—

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–1 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 930 झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग में 2/ 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के लिए बालोद वनमंडल अंतर्गत 26.471 हे. एवं राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत 46.955 हे. कुल 73.426 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उन्होने यह भी उल्लेख किया है कि मॉग की गई वन भूमि न्यूनतम है।	एफ 1 से एफ 51
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)–** वनमंडलाधिकारी सूरजपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक–**FP/CG/Road/29243/2017** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर की जाती है। वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव द्वारा यह भी पुष्टि की गई है कि आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 29,000/– जमा कराये गये है।	20 से 21
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्तावित झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में निम्नानुसार वन एवं राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है :–	22 से 23

वनमंडल	वन भूमि (हे.)	राजस्व वन भूमि (हे.)	व्यपवर्तन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा
राजनांदगांव	46.864	0.091	46.955
बालोद	25.421	1.050	26.471
योग	72.285	1.141	73.426

टीपः–डी.जी.पी.एस रिपोर्ट अनुसार राजनादगांव वनमंडल में वन भूमि 46.864 हे. समस्त संरक्षित वन है। जबकि बालोद वनमंडल में वन भूमि 25.421 हे. में 23.892 हे. आरक्षित वन है तथा 1.529 हे. संरक्षित वन है।

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत 1.2872 हे. एवं बालोद वन मंडल अंतर्गत 4.3252 हे. कुल 5.6124 हे. गैर वन भूमि प्रभावित होने की जानकारी वन मंडलाधिकारी एवं यूजर एजेंसी के द्वारा दी गई है।	24 से 55
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर –** प्रस्तावित वन क्षेत्र का वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव एवं बालोद वन मंडल द्वारा सत्यापित सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	56 से 62
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** एफ.एम.आई.एस द्वारा सत्यापित मानचित्र जारी किया गया है जिसके आधार पर वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव एवं बालोद द्वारा हस्ताक्षरित संनिधि मानचित्र एवं वन आवरण मानचित्र संलग्न है।	63 से 75
7	**प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र – 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 633.95 करोड रू. है। यूजर एजेंसी ने वन क्षेत्रों में सड़क की लंबाई राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत 19.407 कि.मी एवं बालोद वन मंडल अंतर्गत 11.029 कि. मी. तथा वन क्षेत्र में चौड़ाई 18 मीटर तक बतायी है। यूजर एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि उनके द्वारा उक्त गैर वानिकी परियोजना हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण वन क्षेत्र में व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया है और की गई वन भूमि की मांग न्यूनतम है।	76 से 97
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** प्रोजेक्ट पर यूजर एजेंसी द्वारा दी गई विस्तृत टीप संलग्न है।	98 से 135
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	136 से 139
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** यूजर एजेंसी एवं वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव एवं बालोद वनमंडल द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	140 से 141
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र–** यूजर एजेंसी ने भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की छाया प्रति संलग्न की है। वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव ने अपने पत्र क्रमांक 1882 दिनांक 19.10.2019 में लेख किया है कि "भारत सरकार के अधिसूचना 14.09.2006 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार कार्य के लिये 30 कि.मी की लंबाई के अधिक, 20 मीटर से अधिक अतिरिक्त राईट आफ वे होने एवं परियोजना के दो या अधिक राज्यों से गुजरने की स्थिति में पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता होगी जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 930 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में अतिरिक्त राईट आफ वे 6–8 मीटर तक का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है एवं एक ही राज्य के अंतर्गत है। अतः पर्यावरण स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान का पत्र संलग्न है"।	142 से 179
12	**वृक्ष विदोहन विवरण –** राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत 8005 वृक्ष, वन विकास निगम के अंतर्गत 3520 एवं बालोद वन मंडल अंतर्गत 6626 इस प्रकार वन क्षेत्र में कुल 18151 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है ।	180 से 272
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** कास्ट बेनिफिट एनालिसिस संलग्न है।	273 से 289
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)– राजस्व वन क्षेत्र** प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निजी क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है बल्कि नारंगी वन क्षेत्र प्रस्तावित है। अतः यह बिन्दु विषयांकित प्रकरण में लागू नही है ।	290 से 291

क्रमशः 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा–** यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है कि नक्शें की आवश्यकता नहीं हैं।	292 से 293
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजनांदगांव जिले में 146.852 हे. नारंगी क्षेत्र को आरक्षित वन / संरक्षित वन घोषित करने के लिए कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा पत्र दिनांक 05.02.2018 के माध्यम से अनापत्ति दी गई। इस क्षेत्र का स्वीकृति उपरांत अधिसूचना प्रकाशित कराया जाना प्रस्तावित है। जबकि 146.913 हे. (आरक्षित वन भूमि तथा नांरगी वन भूमि मिलाकर) में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। वृक्षारेापण क्षेत्रों का विवरण तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 361 पर लगाया गया है। वनमंडल में वन परिक्षेत्र खुज्जी एवं परिक्षेत्र बागनदी के अंतर्गत 146.913 हे. (आरक्षित वन भूमि तथा नांरगी वन भूमि मिलाकर) में 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रू. 6,00,222/– प्रति हे. की दर से सिंचित वृक्षारापेण योजना प्रस्ताव में लगी है। स्वीकृति के उपरांत उस समय लागू क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दर अनुसार गणना कर आवदेक संस्थान से अन्तर की राशि वसूल की जावेगी।	294 से 366
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव द्वारा हस्ताक्षरित कुल 146.913 हे. वृक्षारोपण साईट का वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	367 से 370
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव एवं बालोद के अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	371 से 372
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियो एवं कर्मचारियों का विवरण –** लागू नही ।	373 से 374
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** लागू नही ।	375 से 376
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र–** चूंकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए दुगने नारंगी वन क्षेत्र की अधिसूचना करायी जानी प्रस्तावित है। अतः मुख्य सचिव के गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	377 से 381
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव ने पृथक से दिये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव पृष्ठ 395 पर उल्लेख किया है कि पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव के कक्ष क्रमांक 526, 544, 545, 546 भू–क्षरण क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव प्रायः होते रहता है। आवेदक संस्थान का कथन है कि भारत सरकार के गाईडलाईन पत्र दिनांक 18.06.2004 अनुसार मिडियम, मेजर, जलाशय एवं हाईड्रोलिक प्रोजेक्ट में कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता होती है। इस प्रकरण में कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। साथ में प्रस्ताव में भारत सरकार का 18.06.2004 का पत्र भी संलग्न है।	382 से 386
23	**रिक्लेमेशन प्लान–** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	387 से 388
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	389 से 390
25	**व्यवस्थापन प्लान –** यूजर एजेंसी का कथन है कि प्रस्तावित कार्य से कोई व्यक्ति/परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	391 से 392

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IVth) –** वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव वन मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पृष्ठ 398 से 399 पर दिया जाकर आवश्यक प्रपत्र भाग – 2 पृष्ठ 396 पर भरा गया है। मंडल प्रबंधक पानाबरस परियोजना मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पृष्ठ 403 से 405 पर दिया जाकर आवश्यक प्रपत्र भाग – 2 पृष्ठ 401 पर भरा गया है। वन मंडलाधिकारी बालोद वन मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पृष्ठ 418 से 419 पर दिया जाकर आवश्यक प्रपत्र भाग – 2 पृष्ठ 415 पर भरा गया है। उक्त तीनो अधिकारियों के द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है तथा वन भूमि की आवश्यकता को अपरिहार्य एवं न्यूनतम बताया गया है। वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव ने प्रस्ताव पृष्ठ 394 एवं 395 पर पृथक से अतिरिक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन लगाया है जिसमें उन्होंने लेख किया है कि "आवेदित वन क्षेत्र एवं आसपास के वन क्षेत्र के अंतर्गत वन्यप्राणियों का आवागमन पाया जाता है। जैसे शेर, तेन्दुआ, हाथी, जंगली सुअर, हिरण, लकरबघ्घा, कोटरी, भालू आदि प्रायः देखा गया है। विगत वर्षो में परिक्षेत्र उत्तर मानपुर के कक्ष क्रमांक 950, 926, 919, 918 के अंतर्गत ग्राम मानपुर, कोरकोट्टी, खड़गांव एवं खेड़ेगांव में निवासरत 4 हितग्राहियों को वन्य प्राणियों से प्रभावित होने के कारण मकान क्षतिपूर्ति की राशि एवं अन्य क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 930 के चौड़ीकरण एवं 2/4 लेन करने से आसपास के वन्य प्राणियों का रहवास एवं आवागमन प्रभावित होगा।" मुख्य वन संरक्षक दुर्ग द्वारा आवेदित वन क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 27.07.2019 को किया जाकर भाग–3 में कुल 73.426 हे. वन क्षेत्र में मार्ग उन्नयन हेतु स्वीकृति की अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक दुर्ग की यह अनुशंसा प्रस्ताव के शुरूआती पृष्ठों एफ 32 पर लगी हुई है।	393 से 419
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास ऐतिहासिक स्थल नहीं होने का प्रमाण पत्र कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा दिनांक 13.11.2017 के पत्र से तथा कलेक्टर बालोद द्वारा पत्र दिनांक 22.11.2017 के पत्र से जारी किया गया है।	420 से 424
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** सरपंच ग्राम पंचायत सेरपार, मुरारगोटा, ढब्बा, खरदी, मिचगांव, खड़गांव, बोरिया मोकासा, कहडबरी, भर्रीटोला, तुमरीकसा, कोराला, झलमला, हीरापुर, सिवनी, खेरथाडीह, दानीटोला, गुजरा, पथराटोला, बिटाल एवं धोबेदंड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	425 से 449
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** प्रस्ताव राजनांदगांव वनमंडल की कुल वन भूमि 89376.81 हे. एवं बालोद वनमंडल की कुल वन भूमि 86292 हे. है।	450 से 451
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में–** स्वीकृत प्रकरणों मे राजनांदगांव वन मंडल में प्रभावित हुई वन भूमि 536.003 हे. है एवं बालोद वन मंडल में स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि 599.880 हे. है।	452 से 453
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की राजनांदगांव वन मंडल में प्रत्यावर्तित वन भूमि 7.018 हे. है जबकि बालोद वन मंडल में प्रत्यावर्तित वन भूमि निरंक है।	454 से 455

क्रमशः 5

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** आवेदित वनभूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नही है वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव एवं बालोद का पृथक–पृथक प्रमाण पत्र संलग्न है।	456 से 457
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरण में) –** खनन का प्रकरण नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है।	458 से 459
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा दिनांक 15.05.2018 को 46.955 हे. वन भूमि के लिये लीनियर प्रस्ताव संबंधी प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी किया गया है। साथ में ग्राम सभा दोरबा, जक्के, कहडबरी, सिवनी, तुमरीकसा, मानपुर, ढब्बा, कोहका का कार्यवाही विवरण तथा अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण लगाया गया है। आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर बालोद द्वारा दिनांक 29.06.2018 को 26.471 हे. वन भूमि के लिये लीनियर प्रस्ताव संबंधी प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी किया गया है। साथ में ग्राम सभा दैहान, अमलीडीह, दानीटोला, झिकाटोला, धोबेदंड, हितेकसा, विटाल का कार्यवाही विवरण लगाया गया है।	460 से 526
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** राजस्व वन भूमि के लिये कलेक्टर राजनांदगांव एवं कलेक्टर बालोद द्वारा जारी क्रमशः दिनांक 18.05.2017 तथा 25.01.2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	527 से 530
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	531 से 535
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	536 से 537
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** दोनो वन मंडलो के लिये पृथक पृथक Soil Productivity Report संलग्न है।	538 से 549
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** परियोजना विस्तार में किसी भी प्रकार की भूमि में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है।	550 से 551
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है।	552 से 553
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** कुल राशि 29000/– के बैक ड्राफ्ट की दो छाया प्रतियां भी पुष्टि हेतु लगा दी गई है। शेष विवरण बिन्दु क्रमांक 2 पर संलग्न है।	554 से 558
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव एवं बालोद वनमंडल द्वारा अभिमत दिया गया है कि इसकी आवश्यकता नहीं है।	559 से 560
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। अतः आवश्यकता नही है।	561 से 562

क्रमशः 6

D/FCA/ Latter-N/Lalit

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** प्रस्ताव के पृष्ठ 575 से 582 पर निम्नानुसार प्रारूप अधिसूचना प्रस्ताव लगाया गया है ताकि स्वीकृति की दशा में अधिसूचित कराये जाने वाले वन भूमि के लिये स्पष्टता बनी रहें। यह निम्नानुसार है –	563 से 582

क्रमांक	वन खण्ड का नाम	वनमंडल का नाम	खसरों की संख्या	सम्मिलित रकबा (हे.)
1	गहिरामेरी	राजनांदगांव	5	3.773
2	पथरानवागांव		11	62.268
3	छिन्दीबिहरी–1		12	65.673
4	मातेखेरा		1	15.138
कुल			29	146.582

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के **website www.parivesh.nic.in** पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर क्पअमतेपवद प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) (पृ0 क्र. F 33A C) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में निम्न शर्त के अधीन दिया जाना प्रस्तावित है :–

"भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय, नागपुर द्वारा प्रकरण में प्रथम चरण सशर्त अनुमति में वन्यप्राणी संरक्षण/संर्वधन हेतु वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तथा यदि कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान हेतु शर्त अधिरोपित की जाती है तो उसके अनुरुप आवेदक संस्थान स्वयं के खर्च पर कार्य करेगा ।"

कृपया उपरोक्त प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 1 प्रति में।

21-11-19

(गणवीर धम्मशील)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

पृ.कमांक एफ–5–17/2019/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21/11/2019

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,

2.मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त, दुर्ग छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव/बालोद वनमंडल, छत्तीसगढ़ ।

4.आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग , रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

21-11-19

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग